



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 341]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 3 अगस्त 2019—श्रावण 12, शक 1941

### वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2019

क्र.-एफ-15-15-2006-दस-2.-राज्य शासन, एतद्वारा, वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष के लिये मध्यप्रदेश राज्य वन्यप्राणी बोर्ड का पुनर्गठन निम्नानुसार करता है:-

- |   |   |           |
|---|---|-----------|
| 1. माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन   | - | अध्यक्ष   |
| 2. माननीय वनमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन  | - | उपाध्यक्ष |
| 3. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल   | - | सदस्य     |
| 4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग  | - | सदस्य     |
| 5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग   | - | सदस्य     |
| 6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख मध्यप्रदेश, भोपाल   | - | सदस्य     |
| 7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम  | - | सदस्य     |
| 8. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एवं अध्यक्ष, मध्यप्रदेश, टाइगर सेल  | - | सदस्य     |
| 9. सेना का एक प्रतिनिधि जो बिग्रेडियर से कम स्तर का अधिकारी न हो -<br>(भारत सरकार द्वारा नामांकित किया जाएगा) | - | सदस्य     |
| 10. संचालक, पशुपालन विभाग, भोपाल  | - | सदस्य     |
| 11. संचालक, मछली पालन, विभाग, भोपाल   | - | सदस्य     |
| 12. संचालक, वन्यप्राणी भारत सरकार या उसके प्रतिनिधि   | - | सदस्य     |
| 13. निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के प्रतिनिधि  | - | सदस्य     |
| 14. बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि  | - | सदस्य     |

15. जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि - सदस्य  
 16. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक (वन्यप्राणी) -सदस्य सचिव

**माननीय विधायकगण**

17. श्री लक्ष्मण सिंह विधायक, चाचौड़ा, जिला गुना, म.प्र. - सदस्य  
 18. श्री संजय उइके, विधायक, बैहर, जिला बालाघाट, म.प्र. - सदस्य  
 19. श्री फुन्देलाल सिंह मार्को, विधायक, पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर, म.प्र. - सदस्य

**वन्यप्राणियों से संबंधित अशासकीय संस्था**

20. विश्व प्रकृति निधि का प्रतिनिधि - सदस्य  
 21. बॉम्बे नेच्युरल हिस्ट्री सोसायटी का प्रतिनिधि - सदस्य  
 22. वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इण्डिया - सदस्य

**पर्यावरणविद/संरक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञ**

23. श्री रशीद किदवई वरिष्ठ पत्रकार-वन्यप्राणी में विशेष रुचि - सदस्य  
 24. श्री वाल्मिक थापर, वन्यप्राणी विशेषज्ञ, दिल्ली - सदस्य  
 25. श्री कृष्ण कुमार सिंह, गढ़ीसेमरिया जिला सीधी, वन्यप्राणी में विशेष रुचि- सदस्य  
 26. डॉ. बी.एम.एस. राठौर, सेवा निवृत्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक - सदस्य  
 27. डॉ. सुहास कुमार, सेवानिवृत्त, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी में विशेष रुचि - सदस्य  
 28. श्री बृजेन्द्र सिंह, नई दिल्ली, वन्यप्राणी में विशेष रुचि - सदस्य  
 29. श्री खगेश्वर नायक, सेवा निवृत्त भारतीय वन सेवा - सदस्य  
 30. राष्ट्रीय उद्यान के वरिष्ठतम क्षेत्र संचालक - सदस्य

वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 6(3) के अनुसार बोर्ड के सदस्य (पदेन सदस्यों के सिवाय) अपने कर्तव्यों के निष्पादन में उपगत खर्चों के बाबत ऐसे भत्ते प्राप्त करने के इकदार होंगे, जो विहित किये जाएंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 अतुल कुमार मिश्रा, अपर सचिव.